‘कारोबारियों को GST नेटवर्क पर जल्द मिलेगा सरल फॉर्म’

मुंबईः छोटे कारोबारियों को जीएसटी रिटर्न फाइल करते वक्त हो रही समस्याओं के समाधान के लिए कई नए कदम उठाए जाएंगे। इसके तहत न सिर्फ प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा, बल्कि कारोबारी को केवल उससे संबंधित फॉर्म ही भरना होगा। रिटर्न भरने की तारीख नजदीक आने के बावजूद फॉर्म उपलब्ध न होने की स्थिति में भी चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरत हुई तो सरकार पहले की तरह समय बढ़ा सकती है। यह कहना है जीएसटी नेटवर्क का कामकाज संभाल रहे आईएएस अजय भूषण पांडेय का। एनबीटी के साथ विशेष साक्षात्कार में आधार और जीएसटीएन की दोहरी जिम्मेदारी संभाल रहे पांडेय ने सुधा श्रीमाली के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा के साथ कई शंकाओं का भी समाधान किया।

‘सावधानी से भरें रिटर्न’

रिटर्न भरते वक्त जीएसटीएन में चूक सुधारने की सुविधा नहीं होने से नुकसान झेल रहे कारोबारियों की समस्याओं पर पांडेय ने कहा कि रिटर्न फाइल करना एक गंभीर काम है और यह ध्यान से किया जाना चाहिए। जैसे कोई बैंक में ऑनलाइन पैसे भेजते वक्त ज्यादा पैसे भेज दे तो दिक्कत होगी ही न।

गलत आंकड़ा लिखने व अपनी देयता को सीजीएसटी की जगह आईजीएसटी में फाइल करने जैसी गलती ठीक करने में समय तो लगता ही है।यही वजह है कि लोगों को वापस अपना पैसा पाने में लंबा इंतजार करना होता है।

हर महीने 50-56 लाख रिटर्न फाइल

जीएसटी एक अनूठी चीज है और जब ऐसी कोई नई चीज लागू होती है तो कुछ कठिनाई होती है, हमारी कोशिश है कि दिक्कतों का जल्द समाधान हो जाए। पांडेय ने बताया कि प्रक्रिया सरल की जा रही है। हम व्यापारियों से कुछ प्रश्न पूछेंगे जो उनके व्यापार से संबंधित होंगे। उसके आधार पर केवल संबंधित फॉर्म ही जारी होगा। सिस्टम की खामियों पर उन्होंने कहा कि अगर सिस्टम इतना खराब होता तो हर महीने 50-56 लाख लोग रिटर्न कैसे फाइल करते! सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के सर्विस टैक्स व एक्साइज डिपार्टमेंट से जुड़े 37 सिस्टम एक प्लैटफॉर्म पर माइग्रेट हुए हैं। इतने बड़े बदलाव में शुरू में परेशानियां तो होंगी, लेकिन इसका मलतब यह नहीं कि यह सिस्टम सही नहीं है।

‘सुरक्षित देश की ओर ले जा रहा है आधार’ ▸▸ पेज 5